रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/95

REGISTERED NO. DL-33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 24, 1995/आषाढ़ 3, 1917

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 24, 1995/ASADHA 3, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 30 मई, 1995

सा.का.नि 289:—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अम्बटि लक्ष्मण राव जिन्हें आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 800/- रु. (केवल आठ सौ रु.) प्रति माह की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

2. कि न्यायमूर्ति श्री अम्बटि लक्ष्मण राव, जिन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 900/- रु. (केवल नौ सौ रु.) प्रति माह की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[सं. के-11017/1/95-यू एस-II (i)]
श्रीमती वीना ब्रह्मा, निदेशक (न्याय)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 30th May, 1995

G.S.R. 289.—In pursuance of Clause (2) of Article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :—

(i) That Shri Justice Ambati Lakshmana Rao, Judge of the Allahabad High Court, who has been transferred from the Andhra Pradesh High Court, shall be entitled to receive in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of Rs. 800 (Rupees eight hundred only) per mensem for the period of his service as Judge of the Allahabad High Court; and

(ii) That Shri Justice Ambati Lakshmana Rao, who has been appointed as Chief Justice of the Allahabad High Court,

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
12
Promotion: Prosthetic Technician (Grade-I) with five years' regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their promotion period, if prescribed. Transfer on Deputation: Officers under the Central Government:- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300/2600 or equivalent; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:— Essential: (A) Degree in Prosthetics and Orthotics from a recognised University/Institute or equivalent. or (B) (i) Diploma in Prosthetics and Orthotics from a recognised university/Institute or equivalent. (ii) 2 years' experience of working in a Prosthetics Workshop. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be, not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.)

If Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion) —Director, Jawaharlal Institute of Post graduate Medical Education and Research—Chairman —Dean —Member —Head of the Department concerned—Member —Deputy Director (Administration)—Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No.A-12018/22/92-RR(ME(PG)]
R.L. MALHOTRA, Desk Officer.

नई दिल्ली, 8 जून, 1995

सा०का०नि० 301.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, तथा कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (समूह "क" राजपत्रित) भर्ती नियम, 1987 को, जहां तक उनका संबंध परिचर्या अधीक्षक के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल तथा कलावती सरन बाल अस्पताल में परिचर्या अधीक्षक के समूह "क" पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल तथा कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (परिचर्या अधीक्षक) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन का तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु सीमा, अर्हताए और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्हरता : वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए, जो कारण हैं उनमें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा की छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
परिचर्या अधीक्षक	*2 (दो) (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित/अननुसचिवीय	2200-75-2800-द.रो.-100-4000 रु.	चयन नहीं	नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीख)

7
जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परिचर्या में मास्टर/परिचर्या में एम.एस.सी. डिग्री या समतुल्य। (2) उसे रजिस्ट्रीकृत नर्स और रजिस्ट्रीकृत सेविका (मिडवाइफ) होनी चाहिए। (3) किसी अस्पताल/परिचर्या गृह में परिचर्या में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण :—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है, कि उनके लिए आरक्षित व्यक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : नहीं। किन्तु उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परिचर्या शिक्षा प्रशासन में डिप्लोमा या बी.एस.सी. परिचर्या होना चाहिए। तथा उसे रजिस्ट्रीकृत सेविका (मिडवाइफ) होनी चाहिए।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल तथा कलावती बाल सरन अस्पताल में ऐसा उप परिचर्या अधीक्षक, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है : जिसके न हो सकने पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल तथा कलावती सरन बाल अस्पताल में ऐसा उप परिचर्या अधीक्षक जिसने उप परिचर्या अधीक्षक और सहायक परिचर्या अधीक्षक की श्रेणियों में कुल मिलाकर पांच वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण :— 1. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है/हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनसे द्वारा की गई सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से एक वर्ष से अधिक से कम न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि, यदि विहित हो, सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। 2. प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारियों द्वारा अपनी श्रेणी/पद पर विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रतिनिर्देश में तैयार की जाएगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 2000–3500 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने 2000–3200 रुपये या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परिचर्या शिक्षा और प्रशासन में डिप्लोमा है और जो रजिस्ट्रीकृत नर्स और रजिस्ट्रीकृत सेविका है । (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।) (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

13	14
	आयोग से परामर्श किया जाएगा।
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए): 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—सदस्य 3. अपर महानिदेशक/उप-महानिदेशक—सदस्य 4. निदेशक (प्रशासन सतर्कता)—सदस्य 5. परिचर्या सलाहकार—सदस्य समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए): 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय—अध्यक्ष 2. अपर महानिदेशक/उप-महानिदेशक—सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता)—सदस्य 4. परिचर्या सलाहकार—सदस्य 5. उप-निदेशक प्रशासन (संबद्ध)—सदस्य टिप्पण:—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[संख्या 11018/10/93-आर आर (एम०ई०) (यूजी०)]
आर० राममूर्ति, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th June, 1995

G.S.R. 301.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani and Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi Recruitment Rules, 1987 in so far as they relate to the post of Nursing Superintendent, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' post of Nursing Superintendent in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital and Kalawati Saran Children Hospital namely :

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kripalani Hospital and Kalawati Saran Children Hospital, New Delhi (Nursing Superintendent) Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attched thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of the recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, satisfied that such marriage in permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Nursing Superintendent	*2(two) (1995) *Subject to depending on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000	Selection

Whether benefit of added/years of service admissible/under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules.	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
6	7	8
Yes	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland Tripura, Sikkim, Ladkah, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: (i) Master in Nursing/M.Sc. Degree in Nursing from a recognised University or equivalent. (ii) Should be a Registered Nurse and Registered Midwife. (iii) 3 years' experience in Nursing in a Hospital/Nursing Home. Note : 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note : 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled C stes/Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidate from these communities possessing the requiste experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case or promotees	Period of Probation	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentages of the vacancies to be filled by various method
9	10	11
Age : No Educational Qualifications : No, but should possess Diploma in Nursing Educational Administration or B.Sc. Nursing from a recognised University or equivalent and should be a Registered Nurse and Registered Midwife	1 year for direct recruits and 2 years for promotees	Promotion, failing which by transfer on deputation, and failing both by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion, deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion : Deputy Nursing Superintendent, IHMC & Smt. S.K. Hospital and Kalawati Saran Children's Hospital with 3 years regular service in the grade; failing which Deputy Nursing Superintendent Lady Hardings Medical College & Smt. S.K. Hospital and Kalawati Saran Children's Hospital with 5 years combined regular service in the grades of Deputy Nursing Superintendent and Assistant Nursing Superintendent. Note I: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed. Note II: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post. Transfer on deputation : Officers under the Central Government — (a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000—3500/- or equivalent; or (ii) with 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000—3200/- or equivalent; and (b) possessing Diploma in Nursing Education and Administration or B.Sc. Nursing from a recognised University or equivalent and should be a Registered Nurse and Registered Midwife.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) : 1. Chairman/Member Union Public Service Commission—Chairman. 2. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare—Member. 3. Additional Director General/Deputy Director General—Member 4. Director (Administration and Vigilance)—Member 5. Nursing Adviser—Member. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) : 1. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare—Chairman. 2. Additional Director General/Deputy Director General—Member 3. Director (Administration and Vigilance)—Member. 4. Nursing Adviser—Member. 5. Deputy Director Administration (concerned)—Member. Note :—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

12	13	14
(The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications).		

[No. A-11018/10/93-RR/ME(UG)]
R. RAMAMURTHY, Desk Officer

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(स्थापना अनुभाग)

नई दिल्ली, 6 जून, 1995

सा.का.नि. 302.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, (परिवहन पक्ष) (संयुक्त निदेशक) (इलैक्ट्रानिक डेटा प्रोसेसिंग केन्द्र) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) में संयुक्त निदेशक (इलैक्ट्रानिक डाटा संसाधन केन्द्र) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष), संयुक्त निदेशक (इलैक्ट्रानिक डाटा संसाधन केन्द्र) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।